



2026:AHC:49466-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील संख्या - 280/2026

सुरेश अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य विपक्षगण

अपीलार्थी हेतु अधिवक्ता : राजेश नाथ त्रिपाठी, उदय शंकर चौहान

विपक्षी हेतु अधिवक्ता : मीनाक्षी सिंह, ए.सी.एस.सी., नमित कुमार शर्मा, दीपक कुमार जायसवाल

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-सी संख्या 38320/2025 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2026 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 5 द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए जिलाधिकारी, गाजीपुर के उस आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसमें यू.पी. पंचायती राज अधिनियम, 1947 ('अधिनियम') की धारा 95(1)(g) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे ग्राम पंचायत सनेहुआ, ब्लॉक कासिमाबाद, जिला गाजीपुर के ग्राम प्रधान पद से हटा दिया गया था।
2. विपक्षी संख्या 5 के अधिवक्ता ने एक प्रारंभिक आपति उठाई कि इस तथ्य के अलावा कि शिकायतकर्ता के स्तर पर अपील सुनवाई योग्य नहीं है, अपीलार्थी विद्वान एकल न्यायाधीश के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समक्ष पक्षकार नहीं था, और इसलिए, अपील करने की अनुमति मांगे बिना वर्तमान अपील दायर करना विचारणीय नहीं है।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह दलील देने का प्रयास किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने पैरा 9 में अपीलार्थी द्वारा की गई दलीलों को दर्ज किया है, जिसने पक्षकार बनने के लिए आवेदन दिया था, और इसलिए अपील पर विचार किया जा सकता है।
4. केवल इसलिए कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष पक्षकार बनने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और अपीलार्थी द्वारा उठाए गए तर्कों को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा संज्ञान में लिया गया था, अपने आप में अपीलार्थी को मुकदमे का पक्षकार नहीं बनाता है। अतः, न्यायालय की अनुमति मांगे बिना इस विशेष अपील को दायर किया जाना स्वीकार्य नहीं है।
5. जहाँ तक शिकायतकर्ता के अपील दायर करने के 'लौकस स्टैंडार्ड' (locus standi - वैधानिक स्थिति) से संबंधित आपत्ति का प्रश्न है, हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने विवादित आदेश द्वारा उन पहलुओं पर विचार करने के बाद, जिनके आधार पर विपक्षी संख्या 5 को हटाया गया था, यह निष्कर्ष निकाला कि वे आधार अधिनियम की धारा 95(1)(g) में निर्धारित मापदंडों और इस न्यायालय द्वारा ईश्वर दयाल बनाम जिलाधिकारी, मैनपुरी एवं अन्य: *1978 All.L.J. 1367* में प्रतिपादित 'पद के दुरुपयोग' की व्याख्या के अंतर्गत नहीं आते थे।
6. मात्र यह तथ्य कि अपीलार्थी ने एक शिकायत की थी जिसके आधार पर जिलाधिकारी ने अधिनियम की धारा 95(1)(g) के तहत कार्रवाई की, अपने आप में अपीलार्थी को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जिलाधिकारी के आदेश को रद्द करने वाले आदेश की वैधता को चुनौती देने का अधिकार नहीं देता है।
7. एक अन्य प्रासंगिक पहलू यह है कि इस न्यायालय ने शमीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य: *AIR 2018 Allahabad 196* में यह व्यवस्था दी है कि अधिनियम की धारा 95(1)(g) के तहत जिलाधिकारी के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका में पारित आदेश से उत्पन्न विशेष अपील, इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के तहत वैसे भी सुनवाई योग्य नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. इन सभी कारणों से, हमें वर्तमान अपील में कोई गुण-दोष नहीं मिलता है। अतः इसे खारिज किया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

एन.डी./वी.एस.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।